न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 191 सन 2020

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सचिन पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रणधीर सिह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. राजेश कुमार पुंत्र रणधीर लम्बोरिया जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. विनोद कुमार पुत्र रणधीर लम्बोरिया जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. जयप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
7. रवीकुमार पुत्र जयप्रकाश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
8. शकुन्तला देवी पत्नी रामकुमार पुत्री रामलाल जाति जाट साकिन खरसण्ड तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. प्रमिला देवी पत्नी सुशील पुत्री रणधीर जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. कविता पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
11. रेणु कुमार पुत्री जयप्रकाश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 5/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 119/114 की कुल 13.1270हैक एवं रोही मौजा लाखसर के खाता संख्या 110/106 की कुल 18.1860हैक में सो 843/6062हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रेखाराम बल्द राजूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रेखाराम बल्द राजूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रेखाराम बल्द राजूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रेखाराम बल्द राजूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 ,जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 119/114 की कुल 13.1270हैक एवं रोही मौजा लाखसर के खाता संख्या 110/106 की कुल 18.1860हैक में सो 843/6062हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रेखाराम बल्द राजूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रेखाराम बल्द राजूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रेखाराम बल्द राजूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 119/114 की कुल 13.1270हैक एवं रोही

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

मौजा लाखसर के खाता संख्या 110/106 की कुल 18.1860हैक्ट में सो 843/6062हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि रामलाल वल्द राजूराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामलाल वल्द राजूराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामलाल वल्द राजूराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,8 ता 11 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,8 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 119/114 की कुल 13.1270हैक्ट जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 , 7 का 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 110/106 की कुल 18.1860हैक्ट में से 843/6062हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सचिन पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रणधीर सिह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. राजेश कुमार पुत्र रणधीर लम्बोरिया जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. विनोद कुमार पुत्र रणधीर लम्बोरिया जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. जयप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
7. रवीकुमार पुत्र जयप्रकाश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
8. शकुन्तला देवी पत्नी रामकुमार पुत्री रामलाल जाति जाट साकिन खरसण्ड तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. प्रमिला देवी पत्नी सुशील पुत्री रणधीर जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. कविता पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
11. रेणु कुमार पुत्री जयप्रकाश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 191 सन 2020 निर्णय दिनांक– 05/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 119/114 की कुल 13.1270हैक्ट जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 , 7 का 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 110/106 की कुल 18.1860हैक्ट में से 843/6062हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)